<u> आप.प्रक.कमांक—905 / 2015</u>

न्यायालय-दिलीपसिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील बैहर, जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.कमांक—905 / 2015 संस्थित दिनांक—22.09.2015 फाईलिंग क.234503010302015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा पुलिस चौकी बिठली, आरक्षी केन्द्र—रूपझर,जिला—बालाघाट (म.प्र.) — — — — — **अभियोज**न

<mark>र्क</mark>ि / / <u>विरूद</u> / /

दशवन्त कुमार उइके पिता सोहन, उम्र—25 वर्ष, निवासी—ग्राम आमानाला, पुलिस चौकी बिठली, थाना रूपझर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

----<u>अभियुक्त</u>

// <u>निर्णय</u> // <u>(आज दिनांक—29/08/2017 को घोषित)</u>

- 1— अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 324, 506 भाग—2 का आरोप है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक—12.08.2015 को सुबह 8:00 बजे, चौकी बिउली, थाना रूपझर अंतर्गत ग्राम आमानाला में झगलू गोंड के घर के सामने लोकस्थान पर फरियादी सहतर गोंड को अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे व दूसरों को क्षोभ कारित कर, लोहे की रॉड को खतरनाक साधन के रूप में उपयोग करते हुए आहत सहतर गोंड को लोहे की रॉड से बांए पैर की पिण्डली व कमर तथा बांये हाथ की कोहनी, सिर पर मारकर स्वेच्छ्या उपहित कारित कर, फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 2— प्रकरण में अभियुक्त राजीनामा के आधार पर दिनांक—21.08.2017 के आदेश द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 506 भाग—2 के आरोप से दोषमुक्त हुआ है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा—324 राजीनामा योग्य नहीं होने से इस धारा में अभियुक्त पर प्रकरण का विचारण पूर्वतः जारी रखा गया था।
- 3— अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी सहतर गोंड ने चौकी बिठली में रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी कि उसने अपने खेत में धान का परहा लगाया था। उसके खेत में गांव के दशवन्त गोंड की भैंसे मंगलवार की शाम को घुस गई थी। तब फरियादी की पत्नी ने खेत से भैंसों को निकालकर दशवन्त

के घर पहुंचाकर कहा था कि भैंसो को बांधकर क्यों नहीं रखते हो। तब बुधवार को फरियादी उसकी पत्नी जयवन्तीबाई एवं लड़की भागवन्ती के साथ बताने गया था कि उनकी भैंसों को मत छोड़ना वह अपने काम मजदूरी में जाएंगे। इसी बात पर से दशवन्त गोंड विवाद कर गंदी—गंदी गालियां देकर हाथ में रखी सरिया (लोहे की रॉड) से फरियादी के बांए पैर की पिण्डली, कमर तथा बांए हाथ की कोहनी व सिर में मारा था। फरियादी की पत्नी व पुत्री ने बीच—बचाव किया था। पुलिस चौकी बिठली अंतर्गत थाना रूपझर ने फरियादी का मेडिकल परीक्षण कराकर फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना रूपझर में अपराध क्रमांक—129/2015 का प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत न्यायालय में अभियोगपत्र प्रस्तुत किया।

- 4— अभियुक्त पर तत्कालीन पूर्व पीठासीन अधिकारी ने निर्णय के पैरा 1 में उल्लेखित धाराओं का आरोप विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाये व समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना स्वीकार किया था एवं विचारण चाहा था।
- 5— अप्रकरण के निराकरण हेत् विचारणीय बिन्द् निम्नलिखित है:--
 - 1. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक—12.08.2015 को सुबह 8:00 बजे, चौकी बिठली, थाना रूपझर अंतर्गत ग्राम आमानाला में झगलू गोंड के घर के सामने लोहे की रॉड को खतरनाक साधन के रूप में उपयोग करते हुए आहत सहतर गोंड को लोहे की रॉड से बांए पैर की पिण्डली व कमर तथा बांये हाथ की कोहनी, सिर पर मारकर स्वेच्छ्या उपहित कारित की थी ?

विचारणीय बिन्दु का निष्कर्षी

- 6— सहतर अ.सा.1 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया है कि घटना न्यायालयीन कथन से दो वर्ष पूर्व की है। घटना के समय उसका अभियुक्त से विवाद एवं झूमाझटकी हो गई थी, इस कारण साक्षी ने पुलिस चौकी बिठली, थाना रूपझर में अभियुक्त के विरूद्ध प्रदर्श पी—1 की रिपोर्ट लिखाई थी, जिस पर साक्षी ने अंगूठा निशान लगाया था। पुलिस ने घटनास्थल का मौकानक्शा बनाया था, जो प्रदर्श पी—2 है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने सुझाव में यह अस्वीकार किया है कि अभियुक्त ने लाहे के सरिये से मारकर उपहित कारित की थी।
- 7— सहतर अ.सा.1 ने अभियुक्त से राजीनामा कर लिया है। संभवतः राजीनामा करने के कारण सहतर ने उसकी साक्ष्य में घटना का समर्थन नहीं किया है।

अभियोजन पक्ष ने राजीनामा होने के कारण प्रकरण में अन्य किसी साक्षीगण की साक्ष्य नहीं कराई है। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रकरण में परीक्षित कराए गए साक्षी की साक्ष्य से अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर लोहे की रॉड को खतरनाक साधन के रूप में उपयोग करते हुए आहत सहतर गोंड को लोहे की रॉड से बांए पैर की पिण्डली व कमर तथा बांये हाथ की कोहनी, सिर पर मारकर स्वेच्छया उपहित कारित की थी। अतः अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—324 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

- 8— प्रकरण में धारा—428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे।
- 9— प्रकरण में अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 10— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक लोहे का सरिया मूल्यहीन होने से अपील अविध पश्चात् विधिवत् नष्ट किया जावे, अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(दिलीप सिंह) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, तहसील बैहर, जिला–बालाघाट

(दिलीप सिंह) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, तहसील बैहर, जिला–बालाघाट